धारा 144 : कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा

जहां कोई दस्तावेज–

(i) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; अथवा

(ii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रहण किया गया है; अथवा

(iii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,

और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति जिसका उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जाता है, के विरूद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वहां–

(क) जब तक कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जाएगी कि–

(i) ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु सत्य है;

(ii) यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा तात्पर्यित रूप से हस्तलिखित हो अथवा जिसके बारे में न्यायालय ने युक्तियुक्त रूप से यह माना हो कि वह विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है अथवा उसके द्वारा हस्तलिखित है और ऐसे दस्तावेज के निष्पादित या अनुप्रमाणित होने की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्यित रूप से उस व्यक्ति द्वारा निष्पादन या अनुप्रमाणन किया गया है;

(ख) यह होते हुए भी कि दस्तावेज सम्यकतः स्टांपित नहीं है, साक्ष्यस्वरूप दस्तावेज को स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण किए जाने योग्य है।